रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 200] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 1986/चैत्र 27, 1908
No. 200] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 1986/CHAITRA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 6-4 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम, 1980 में—

(i) नियम 3 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) संस्थान मे, विधिक माप विज्ञान और अन्य सहबद्ध विषयों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रत्येक दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण में वे विषय होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।";

(ख) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) प्रत्येक अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की वास्तविक अवधि और विस्तृत पाठ्यचर्या वह होगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट है।",

(ii) नियम 6 में, खंड (क) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा नियोजित कोई अन्य व्यक्ति उस सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है वहां केन्द्रीय सरकार अर्हताओ को शिथिल कर सकती है यदि इस प्रकार प्रायोजित व्यक्ति को विधिक माप विज्ञान में कम से कम 2 वर्ष का क्षेत्र मे कार्य करने का अनुभव है और जिसे केन्द्रीय सरकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अन्यथा उपयुक्त समझती है।",

(iii) नियम 7 में,—

"निदेशक के पूर्वानुमोदन से" शब्दों के स्थान पर "विधिक माप विज्ञान के क्षेत्र मे अनुभव की अवधि के आधार पर" शब्द रखे जाएंगे ,

(iv) नियम 8 में,—

(क) उपनियम (1) मे, "गठन कर सकेगी" शब्दों के स्थान पर "गठन करेगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) मे, "दो ऐसे व्यक्तियों" शब्दों के स्थान पर "विधिक माप विज्ञान से संबंधित कार्य से संबद्ध दो ऐसे व्यक्तियों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा, अर्थात् :—

"(4) अधिवेशन में प्रक्रिया—

(क) अध्यक्ष, अधिवेशन में अध्यक्षता करेगा । यदि अध्यक्ष समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित न हो तो समिति ऐसे किसी अधिवेशन मे अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों मे से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेगी ।

(ख) समिति में स्वयं उपस्थित नौ सदस्यों से समिति के अधिवेशन मे गणपूर्ति होगी ।

(ग) यदि किसी अधिवेशन में उपस्थित समिति के सदस्यों में मतभेद होता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

(घ) समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होगा और यदि समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हैं तो अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य को निर्णायक मत प्राप्त होगा ।

(घ) उपनियम 6 में,—

द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि यदि समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् पुनर्गठन नहीं किया जाता है तो उसके सदस्यों की पदावधि का विस्तार, एक वर्ष के लिए या उस समय तक के लिए जब तक कि समिति का इस नियम के अधीन पुनर्गठन नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किया जाएगा।";

(ङ) उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(10) समिति का नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष, त्यागपत्र को यथा संभव शीघ्र स्वीकार करेगा किन्तु तीन मास के पश्चात् नही और त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने पर ऐसे सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा ।";

(v) नियम 9 मे,—

(क) उपनियम (1) मे, "या मानदेय" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ;

(vi) नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

[नियम 3(1) और 3(4) देखें]

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्य की अन्तर्वस्तु	अवधि	वर्ष में पाठ्यक्रमों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	विधिक माप विज्ञान में बुनियादी प्रशिक्षण	बाट और माप के विधिक, संगठनात्मक और तकनीकी पहलुओं में सेवांतर विस्तृत प्रशिक्षण देना ।	4 मास	3
2.	विधिक माप विज्ञान में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	बाट और माप विभागों में कार्यरत व्यक्तियों को बाट और माप विधि तथा कार्य प्रणाली में आधुनिक प्रगतियों की जानकारी देना ।	4 सप्ताह	6
3.	ज्येष्ठ अधिकारियों के लिए समालोचना पाठ्यक्रम	निम्नलिखित में सेवांतर ज्येष्ठ कार्मिकों को प्रशिक्षण देना— (i) विधिक विषयों सहित तकनीकी विषयों में पर्यवेक्षीय कृत्य (ii) प्रयोगशाला अधिकारियों के रूप में कार्य करना ।	4 सप्ताह	1
4.	उपकरण यांत्रिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	बाट और माप, तोलने, मापने के उपकरणों की विभिन्न श्रेणियों के विनिर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक सेवांतर विशेषज्ञता विकसित करना ।	6 सप्ताह	1
5.	प्रयोगशाला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	निम्नलिखित में सेवांतर विशेषज्ञता विकसित करना— (i) माध्यमिक स्तर के प्रयोगशाला का अनुरक्षण (ii) कार्यकरण मानक का सत्यापन (iii) माप विज्ञान से संबंधित साधारण औद्योगिक उपकरण का अंशांकन और परीक्षण ।	3 मास	1
6.	विद्युत मीटरों पर विशेष पाठ्यक्रम	विद्युत ऊर्जा मीटरों के परीक्षण पर विस्तृत सेवांतर प्रशिक्षण देना ।	1 मास	2
7.	क्लिनिकों में प्रयुक्त थर्मामीटरों पर विशेष पाठ्यक्रम	क्लिनिकों में प्रयुक्त थर्मामीटरों के सत्यापन में सेवांतर प्रशिक्षण देना ।	1 मास	2
8.	टैक्सी मीटरों पर विशेष पाठ्यक्रम	टैक्सी मीटरों के सत्यापन पर सेवांतर प्रशिक्षण देना ।	1 मास	2
9.	टैंक लारी अंशांकन पर विशेष पाठ्यक्रम	टैंक लारी अंशांकन पर सेवांतर प्रशिक्षण देना	1 मास	2
10.	भंडारण टैंक अंशांकन पर विशेष पाठ्यक्रम	भंडारण टैंक सत्यापन पर सेवांतर प्रशिक्षण देना	1 मास	2
11.	विदेशी अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम	विकासशील देशों से विधिक माप विज्ञान के अधिकारियों को प्रवर्तन कार्य प्रणाली और प्रयोगशाला कार्यों में प्रशिक्षण देना ।	6 मास	2
12.	बाट और माप की विधि में अग्रिम पाठ्यक्रम	बाट और माप की विधि में सेवांतर प्रशिक्षण देना ।	4 मास	1

[मि. सं. डब्ल्यू. एम.-9(6)/80]

बी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 17th April, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by section 83 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Institute of Legal Metrology Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Institute of Legal Metrology (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Institute of Legal Metrology Rules, 1980—

(i) In rule 5,—

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) There shall be imparted at the Institute long-term and short-term training in legal metrology and other allied subjects and each long-term and short-term training course shall consist of such subjects as are specified in the Schedule appended to these rules." ;

(b) Sub-rule (2) shall be omitted;

(c) For sub-rule (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) The actual duration and the detailed curriculum of every long-term and short-term training course shall be as specified in the Schedule appended to these rules.";

(ii) In rule 6, in clause (a), for the second proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided further that where any other person employed by the State Government is sponsored by that Government, the Central Government may relax the qualifications if the person so sponsored has a field experience in legal metrology for a period of not less than two years and he is considered by the Central Government to be otherwise suitable for undergoing the course of training.";

(iii) In rule 7,—

for the words "with the previous approval of the director", the words "on the basis of the length of experience in the field of legal metrology" shall be substituted;

(iv) In rule 8,—

(a) in sub-rule (1), for the words "the Central Government may constitute" the words "the Central Government shall constitute" shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), for the words "two persons", the words "two persons connected with the work relating to Legal Metrology" shall be substituted;

(c) for sub-rule (4), the following be substituted, namely :—

"(4) Procedure at meetings—

(a) The Chairman shall preside over meetings of the Committee. If the Chairman is not present at any meeting of the Committee, the Committee shall elect a Chairman from amongst the members present to preside at such a meeting.

(b) Nine members of the Committee present in person shall form a quorum at a meeting of the Committee.

(c) In the case of difference of opinion amongst the members of the Committee present at a meeting the opinion of the majority shall prevail.

(d) Each member of the Committee shall have one vote, and if there shall be an equality of votes on any question to be decided by the Committee, the Chairman or the member presiding shall have a casting vote.

(d) In sub-rule (6),—

for the second proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided further that if the Committee is not constituted after the expiry of the term of office, the term of office of its members shall stand extended for one year or until the Committee is re-constituted under this rule, whichever is earlier.";

(e) for sub-rule (10), the following shall be substituted, namely :—

"(10) A nominated member of the Committee may resign his membership by addressing a letter to the Chairman and the Chairman shall accept the resignation as soon as possible, not later than three months, and on the resignation being accepted, the office of such member shall fall vacant.";

(v) In rule 9,—

(a) in sub-rule (1), the words "or honorarium" shall be omitted;

(b) sub-rule (2) shall be omitted;

(vi) After rule 10, the following Schedule shall be inserted namely:—

SCHEDULF

[See rules 3(1) & 3(4)]

S. No.	Name of Course	Course Content	Duration	No. of Courses in a year
1	2	3		4
1.	Basic Training Course in Legal Metrology	To provide in service comprehensive training in the legal, organizational and technical aspects of Weights and Measures	4 months	3
2.	Refresher Course in Legal Metrology	To provide information on recent developments in the Weights and Measures laws and practices to persons working in Weights and Measures departments	4 weeks	6
3.	Appreciation Course for Senior Officers	To train in-service senior personnel in (i) supervisory functions in technical mattres including legal issues (ii) to function as laboratory officers.	4 weeks	1
4.	Training Course for Instrument Mechanics	To develop in-service expertise necessary for the manufacture and repair of different grades of Weights and Measures, weighing, measuring instruments	6 weeks	1
5.	Training Course for Laboratory Officers	To develop in-service expertise (i) to maintain a Secondary Standard Laboratroy (ii) to verify working standards (iii) to take up calibration and testing of simple industrial equipments related to Metrology.	3 months	1
6.	Special Course on electricity meters	To provide comprehensive in-service training on testing of electrical energy meters	1 month	2
7.	Special Course on clinical thermometer	To provide in-service training in verification of clinical thermometers	1 month	2
8.	Special Course in taxi meters	To provide in-service training on verification of taxi meters	1 month	2
9.	Special Course on tank lorry calibration	To provide in-service training on verification of tank lorry	1 month	2
10.	Special Course on storage tank calibration	To provide in-service training on verification of storage tank	1 month	2

1	2	3	4
11.	Special Course for foreign officials	To provide training to officials of Legal Metrology from developing countries in enforcement practices as well as laboratory works	6 months 2
12.	Advanced Course in laws of Weights and Measures	To provide in-service training in laws of Weights and Measures	4 months 1

[F. No. WM-9(6)/80]
B.K. SINHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986